न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 27/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. चांदना पुत्र मीरू		1. खीमरेखां पुत्र जानु
2. हमीद पुत्र मीरू		2. पीरे खां पुत्र जानु
3. वरीया पुत्र मीरू		3. बरकत खां पुत्र जानु
4. मठार पुत्र मीरू		4. नजीर मोहम्मद पुत्र जानु जातिगण मुसलमान निवासीगण कोरीधवेचा, तहसील बागोड़ा
5. अकबर पुत्र खमीचा जातिगण मुसलमान निवासी कोरीधवेचा तहसील बागोड़ा तहसील जालोर		5. फौजे खां पुत्र वागा के का0मु0 जमाल खां पुत्र फौजे खां
		6. वली मोहम्मद पुत्र हाजी
		7. बरगद पुत्र हाजी
		8. वसीर पुत्र हाजी
		9. इमामदीन पुत्र धोकला जातिगण मुसलमान निवासीगण कोरीधवेचा तहसील बागोड़ा
		10. जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये प्रबन्धक शाखा जालरे
		11. भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार बागोड़ा जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री सिकन्दर अली सैय्यद, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री दिलीप शर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 11.2.19

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 37/2012 खीमरेखां बनाम फौजे खां वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा कोरीधवेचा के खसरा नम्बर 623, 624 व 625 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 590, 592, 589 व 585 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2013 को निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता दिये जाने का अनुतोष प्रदान किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.12.2014 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का पूर्णतया विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया। अपीलाण्ट के नाम जो नोटिस जारी किए, वे विधिवत तामील भी नहीं हुए, इसके बावजूद भी लोक अदालत में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व फौजे खां की मृत्यु हो चुकी थी, उसके का0मु0 को रेकर्ड पर लिए बगैर ही मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि आबादी के पास आई हुई स्थित है, जिनमें से उनकी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट तलब की है, उसमे गलत रूप से अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता होना जाहिर किया। प्रकरण में जो मौका निरीक्षण किया गया, उसकी कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी गई एवं अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य की ताईद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से होती है, जिसमें इस बिन्दु को स्पष्टतः रेखांकित किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत किए जाने का नोटिस अपीलाण्ट को जारी किया गया था, जो तामील होने के बावजूद भी अपीलाण्ट जानबूझकर अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट द्वारा जैर अपील आदेश की

पालना में प्रतिकर की राशि भी अदा की है। रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 623, 624 व 625 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 590, 592, 589 व 585 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिसका अपीलाण्ट द्वारा विरोध किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 9 द्वारा रास्ता प्रदान करने में सहमति व्यक्त की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में इसी प्रकरण में दिनांक 23.07.2013 को निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता दिये जाने का अनुतोष प्रदान किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.12.2014 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का पूर्णतया विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इन निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2015 को प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर पक्षकारान् को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश जारी किए एवं पत्रावली उसके अगले दिवस अर्थात दिनांक 02.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खोखा में नियत की गई। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किए, वे अपीलाण्ट से व्यक्तिशः तामील ही नहीं हुए एवं जिस तामील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी जैर अपील आदेश के पेज संख्या 2 के पैरा संख्या 3 में अपर्याप्त मानते हुए अपीलाण्ट के नाम जारी नोटिस अदम तामील प्राप्त होना अंकित किया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 फौजू खां के पुत्र के नाम नोटिस जारी किया, जबकि फौजू खां के का0मु0 को रेकर्ड पर लेने हेतु न तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न ही का0मु0 को रेकर्ड पर लिया गया। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.06.2015 को जो मौका निरीक्षण किया गया, उसमें फौजू खां ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जाना अंकित किया। अब यह तथ्य परस्पर विरोधाभाषी है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस फौजू खां को फोत मानते हुए उसके का0मु0 के नाम नोटिस जारी किया, उसी फौजू खां द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार के तथ्य तहसीलदार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किए, जो सम्भव नहीं है। इसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक फोजू खां के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया एवं उक्त आदेश में न्यायालय हाजा द्वारा दिए गए निर्देशों की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई एवं न ही पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र दो दिवस में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण को द्रुत गति से निस्तारण कर दिया, जो न केवल विधिक प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन है, बल्कि न्यायालय द्वारा दिए निर्देशों की पालना न करने की श्रेणी में

राजस्व अपील प्राधिकारी

भी परिलक्षित होता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में नजरअन्दाज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त भी जैर अपील आदेश मृतक के विरूद्ध पारित होने से विधिक दृष्टिकोण से शून्य है। इस सम्बन्ध में RLW 2015(4) Page 3565 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "It is submitted by learned counsel for the appellant that a party to lis if expires, then the lis comes to an end on the death of party and that can be revived only when the deceased legal representatives are brought on record. So long as the legal representatives are not brought on record by taking recourse to Order 22 of the Civil Procedure Code either at the instance of party to the lis or by legal representatives of deceased themselves, as the case may be, the Court which was ceased of the lis has no jurisdiction to proceed with the case. In the case in hand, the issue has been decided against the dead person and, therefore, the judgment passed by learned Single Bench is nonest. In the instant matter, since the legal representatives of deceased (appellant herein) were not party brought on record of the writ petition, hence, the order impugned become a nullity, being passed when the lis was not alive due to death of a writ petitioner; such order, therefore, deserves to be set aside at the instance of legal representatives of deceased who have acquired a right to prosecute the lis having stepped in the shoes of deceased writ petitioner." इससे यह प्रमाणित होता है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, यदि कोई आदेश पारित भी किया जाता है, तो वह आदेश विधिक दृष्टिकोण से शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर किसी प्रकार का गौर ही नहीं किया गया तथा प्रकरण में दिए गए निर्देशों की पालना किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 37/2012 खीमरेखां बनाम फौजे खां वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या जालोर/निर्णय/30/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2014 में दिए गए निर्देशों एवं विधिक बिन्दुओं/प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर